शोध मंथन Vol. XIV No.IV Oct.-Dec. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

भारतीय समाज में सामाजिक न्याय : डॉ० बी०आर० अम्बेडकर के विचार

प्राप्तिः 20.10.2023
स्वीकृतः 20.12.2023

देवमणि
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या
ईमेल : *ftdevmani@gmail.com*

94

सारांश

राज्य का मूल उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य का कर्तव्य है कि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर एक समान अवसर प्रदान करना। प्रस्तुत लेख के अन्तर्गत डॉ0 अम्बेडकर के विचारों को सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में दर्शाने का प्रयास किया गया है साथ ही उनके विचारों की प्रासंगिता क्या है, को जानने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिन्दु

सामाजिक न्याय, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, सामाजिक विभेदीकरण।

प्रस्तावना

डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। तथा इनकी मष्त्यु 6 दिसम्बर 1956 में हुई थी। डॉ0 अम्बेडकर साहब एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरूद्ध अभियान चलाया था। साथ ही, उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय और लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉ0 अम्बेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय समाज के लिए अनेकों संघर्षपूर्ण कार्य किये। दलितों, महिलाओं, शोषितों और वंचितों के लिए अनेकों संघर्षपूर्ण कार्य भी किये। सामाजिक न्याय की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है। सामाजिक न्याय एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक समानता के निहितार्थ से भी सम्बन्धित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जाति एवं अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय, निर्धनता, साक्षरता, छुआछूत सामाजिक न्याय की अवधारणा के मुख्य आधार स्तम्भ हैं –

- जातीय ऊँच–नीच के भेदभाव को मिटाना।
- धार्मिक ऊँच–नीच की मान्यताओं को मिटाना।
- लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
- क्षेत्रीयता के भेदभाव को खत्म करना।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय को जानने से पूर्व प्राचीन काल की स्थिति को जानना आवश्यक है।

प्राचीन काल में सामाजिक न्याय

प्राचीन भारत में परम्पराओं को दो दृष्टिकोणों में विभाजित किया गया था। ''दण्डनीति और धर्म'' ये दोनों परम्पराएं न्याय से सम्बन्धित थीं। दण्ड नीति से अभिप्राय कानून और सजा से था वहीं धर्म कर्तव्यों से जुड़ा था। अतः प्राचीनकाल में हिन्दू परम्पराएँ कर्तव्यों के साथ जुड़कर कार्य किया करती थीं।

प्राचीन हिन्दू परम्परा के अन्तर्गत समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर वर्णों से तात्पर्य ''रंग या वर्ग होता है'' (ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र)। ये चार वर्ण हिन्दू जाति व्यवस्था की देन हैं। हिन्दू कानून व्यवस्था का मानना था कि सभी व्यक्ति समान पैदा नहीं हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उनके कार्य के साथ उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाता था। पदानुक्रमिक जाति व्यवस्था ने असमानता और अमानवीकरण को जन्म दे दिया था। हिन्दू धर्म ने ब्राहम्ण जाति को उच्च वंशानुगत सामाजिक स्थिति के साथ उच्च विशेषाधिकार प्रदान किया जबकि शूद्रों को अस्पृश्य और छूआछूत की श्रेणी में धकेल दिया। ऐसी सामाजिक व्यवस्था ने समाज के धरातल पर समानता और अवसरों की समानता को नकार दिया। जिसके परिणामस्वरूप समाज में अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की शुरूआत हुई। प्राचीन भारत में सामाजिक न्याय प्रणाली निम्न तीन बिन्दुओं पर आधारित होती है– अन्धविश्वास, जाति भेदभाव और लैंगिक भेदभाव।

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय की अवधारणा सामाजिक मानदण्डों जैसे– व्यवस्था, कानून और नैतिकता के साथ–साथ अवसर की समानता पर भी बल देती है। सामाजिक न्याय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सामाजिक और दूसरा न्यायिक। सामाजिक शब्द उन सभी मनुष्यों के साथ सम्बद्ध हो जो समाज में रहते हैं, जबकि न्याय शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों से सम्बन्धित है। इस प्रकार सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने व समाज के हर वर्ग के लिए समानता प्रदान करने और व्यक्तिगत अधिकारों को बनाये रखने के लिए एक प्रयास है। दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय समाज में सभी सदस्यों की क्षमताओं का उच्चतम सम्भव विकास हासिल करना है। यह अवधारणा एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न पक्षों के आधार पर देखा है। सामाजिक न्याय समाज का वह अमूल्य अंग है जो समाज में एकता और स्थिर समाज को स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। सामान्यतः सामाजिक न्याय को कमजोर वर्गों, महिलाओं, वृद्धों गरीबों व बच्चों एवं अन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का संघर्ष महार जाति के लिए था क्योंकि वे स्वयं भी इसी जाति से सम्बन्धित थे। महारों को भारतीय समाज में अछूत के रूप में माना जाता था और समाज में उनके साथ सामाजिक, आर्थिक भेदभाव का सम्बन्ध रखा जाता था। समाज में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा और ईर्ष्या भाव रहता था। भारतीय समाज में निम्न जाति के लोगों को स्कूलों, मन्दिरों, रास्तों, चिकित्सालयों इत्यादि जगहों पर आना–जाना प्रतिबंधित था। ये कुरीतियाँ भारतीय समाज

और जातीयता का उपहार थी। जिसमें अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। इन सभी बाधाओं से लड़ते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर कमजोर व वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वह सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए युद्धवाहक थे, जिन्होंने अन्याय के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। मानव समाज के उत्थान के लिए और समाज परिवर्तन के लिए उन्होंने निरन्तर कार्य किया। वह एक समाजवादी एवं उदारवादी नेता थे, जो समाज में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व बंधुत्व को स्थापित कर अमानवीय आयामों को समाज में जड़ से मिटाना चाहते थे। भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता के साथ–साथ दलितों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में गरीबों और शोषित वर्गों की भलाई के लिए कार्य किया। डॉ0 अम्बेडकर पर 'रूसो' के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। (रूसो के अनुसार– ''मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परन्तु वह बंधनों से जकड़ा हुआ है)। अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक न्याय पर ज्यादा बल दिया जाए। जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ–साथ सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक न्याय प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के ज्यादा नजदीक है। डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक न्याय प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के ज्यादा नजदीक है। डॉ0 अम्बेडकर जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं वह नस्लभेद, लिंग भेद, क्षेत्रीयता भेद से मुक्त है। इस अवधारणा में कमजोर वर्ग के साथ न केवल न्याय हो बल्कि उनके अधिकारों और हित को सुरक्षित रखा जाए। डॉ0 अम्बेडकर का सामाजिक न्याय इन सामाजिक बाधाओं पर काम करता है– सामाजिक बहिष्कार, पुरूष सत्ता, जातीयता आधारित काम करने की बाध्यता, भूमि सम्पत्ति सम्बन्धित असमान वितरण इत्यादि। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को हिन्दू समाज के लिए अभिशाप माना, उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था सभी असमानताओं का मूल कारण है। जिससे अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को सहारा मिलता है। भारतीय संविधान, नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकारों, न्याय, बंधुत्व को सुरक्षित रखने की बात करता है। साथ ही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाता है जिसमें छुआछूत एवं भेदभाव के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

डॉ0 अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की विचारधारा प्रगतिशील है। अम्बेडकर एक परोपकारी, उदार समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं, बच्चों व शोषित वर्गों व दलितों के उत्थान के लिए अनेकों अथक प्रयास किये। अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान और प्रगति के लिए समाज सुधार किये जिसमें अन्धविश्वास, पुरूष वर्चस्व जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ डॉ0 अम्बेडकर ने महिलाओं को उनके अधिकारों को प्राप्त कराने में भी अपना योगदान दिया। भारतीय संविधान के अन्तर्गत इन मामलों से सम्बन्धित सर्वोच्च व उत्कृष्ट कार्य किये जा रहे हैं। सामाजिक न्याय की पूर्ति व सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिशा में मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, केन्द्र सरकार इत्यादि कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण के माध्यम से उनकी स्थिति में भी सुधार लाया जा रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार के माध्यम से ही इन वर्गों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त कराने के लिए अनेकों योजनाएँ व कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनसे इन वर्गों को लाभ पहुंच रहा

है। जैसे कि इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा एवं प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्राप्त कराये जा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो कमी दिख रही है वह सामाजिक असंतुलन और गलत क्रियान्वयन के कारण है। क्योंकि उचित क्रियान्वयन व संतुलन के बिना सामाजिक न्याय को स्थापित कर पाना मुश्किल है। अरस्तू के अनसुार– ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है'' लेकिन वह नागरिक तभी कहलायेगा जब वह राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से योगदान करता है। परन्तु मनुष्य के योगदान का कोई मापदण्ड नहीं है क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है जिसका स्वार्थ समाज के कार्यों से सर्वोपरि है।

अतः अम्बेडकर के सामाजिक न्याय को पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं किया जा सका है। प्राचीन काल से चल रही जाति व्यवस्था और अन्धविश्वास की जड़ें काफी गहराई तक फैली हुई है। आज अम्बेडकर हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनके स्वतंत्र भारत में आज भी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मतभेद कई गुना बढ़ गये हैं। वर्तमान में क्षेत्रवाद भी अपने पाँव पसारने लगे हैं। नजीतन जहाँ अम्बेडकर का स्वप्न ऊँचाइयों की सीढ़ियों को छूने का था तथा एक विकसित राष्ट्र बनाने का था वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास, भेदभाव, सामाजिक अव्यवस्थायें, पिछड़ापन ने समानता के विचार को पीछे धकेल दिया है। समानता के आधार पर एक समाज स्थापित करने के विचार केवल एक सपने की तरफ दिखाई देते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो भारतीय संविधान सामाजिक न्याय और मानव गरिमा पर आधारित सभी को समान अधिकारों की गारण्टी देता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय के विचारों का उचित रूप में महसूस किया जा सकता है। आज भी आरक्षण के खाली पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं प्राप्त हुए हैं, आज भी लगभग 40 प्रतिशत बच्चे बालश्रम का शिकार हो रहे हैं और लगभग 88 प्रतिशत महिलाएं आज भी बलात्कार का शिकार हो रही हैं। आज भी सामाजिक न्याय जैसी अवधारणा हमारे देश में कोसों दूर दिखाई दे रही है। अम्बेडकर ने दलितों व कमजोर वर्गों के समग्र विकास के लिए जो स्वप्न देखे थे वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हमारी नीतियों का उचित क्रियान्वयन न होना व असमानता है। अतः देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक न्याय की अवधारणा को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। साथ ही, अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों को कायम रखने, दलितों, कमजोर वर्गों के अधिकारों व गरिमा को बनाये रखने के लिए संवैधानिक व कानूनी तरीकों को बढ़ावा दें जिससे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा की प्रासंगिकता बनी रहे।

सन्दर्भ

1. अम्बेडकर, बी0आर0. (1980). अनटचबल एण्ड अनटचबिलिटी (सोशल–पालिटीकल रिलीजियस) राइटिंग एण्ड स्पीचियस. वाल्यूम–5. डिपार्टमेंट गर्वमेन्ट ऑफ महाराष्ट्र इण्डिया।
2. कुमार, ए0 रंजीत. (2011). अम्बेडकर नेशन ऑफ सोशल गर्वनमेन्ट–ए जस्टिस पसपेक्टिव. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सांइटिफिक एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च. वाल्यूम–2. पृष्ठ **12.**
3. गोपाल, गुरू. (1998). अन्डरस्टैडिंग अम्बेडकर कान्सट्रक्शन ऑफ नेशनल मूवमेन्ट. इकोनॉमिक पालीटिकल. दिल्ली. वाल्यूम– नम्बर–4. जनवरी. पृष्ठ **156–157.**

4. श्यामलाल. (1998). अम्बेडकर सोशल एण्ड जस्टिस इन. श्यामलाल एण्ड के0एस0 सजना (इ0डी0). अम्बेडकर एण्ड नेशनल बिल्डिंग, रावत पब्लिकेशनः, जयपुर।
5. कोठारी, रजनी. (1970). कास्ट इन इण्डियन पालीटिक्स. नयी दिल्ली।
6. पाण्डेय, एच0एच0. (2002). गांधी, नेहरू टैगोर एवं अम्बेडकर. प्रयाग पुस्तक भवन पब्लिकेशनः इलाहाबाद।
7. सिंह, शिव प्रकाश. (2005). डॉ0 अम्बेडकर ऑन माइनारिटीज. पब्लिकेशन बाई इण्डिया फस्ट फाउन्डेशनः नई दिल्ली।
8. शर्मा, राम विलास. (2002). गाँधी अम्बेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्यायें. वाणी प्रकाशनः नई दिल्ली।